

केन्द्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन
1, नवाब युसुफ रोड, सिविल लाइन्स, प्रयागराज
(कार्मिक शाखा)

संख्या: ई/आरई/राज./निति/परिपत्र/2023

दिनांक 09.11.2023

1. प्रमुंजी, मुप्रअ, प्रमुसिंगदूजी प्रभंडानिक, वउमहाप्र/मुसतर्काधि, प्रविस, प्रमुकाधि/कोर/प्रयागराज।
2. मुख्य परियोजना निदेशक, अम्बाला, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर, बैंगलोर, चेन्नई, गुवाहाटी एवं सिकन्दराबाद।
3. सचिव/महाप्र/कोर/प्रयागराज।
4. सचिव/अधिकारी संघ एवं पदोन्नति अधिकारी संघ/कोर/प्रयागराज।
5. सचिव NRMU एवं NCRES कोर/प्रयागराज।
6. कार्याधि (अराज.), हित निरीक्षक एवं पास/समापन अनुभाग कोर/प्रयागराज।
7. समस्त डीलिंग लिपिक कोर/प्रयागराज।

विषय : Representation from Samajwadi Labour Front regarding regularization of contractual staff on the Railways.

संदर्भ : रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2023/E/(LL)/AT/CNR/17, dated 26.10.2023.

रेलवे बोर्ड से प्राप्त पत्र संख्या 2023/E/(LL)/AT/CNR/17, dated 26.10.2023. की फोटो प्रतिलिपि सूचना एवं मार्गदर्शन हेतु प्रेषित है।

(Handwritten signature)
09/11/2023
(एम.एस. मिश्रा)

वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/राज

कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)

कोर/प्रयागराज

(Handwritten signature)
09/11/23

10/250
31/10/23

8/11

श्री सिद्धी + श्री
प्रमुख मु.का.धि. 1/11/23
उप मु.का.धि. 02/11/23
व.का.धि. 26/10/23
असज

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

2023/E(LL)/AT/CNR/17

New Delhi, dated: 26.10.2023

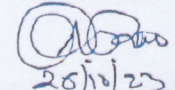
The General Manager (P)
All Zonal Railways

Sub:- Representation from Samajwadi Labour Front regarding regularization of contractual staff on the Railways.

Please find enclosed herewith a representation dated 03.10.2023 from Sh. Bam Bam Maharaj Nauhatiya, National Incharge Atal Janshakti party and General Secretary Samajwadi Labour Front regarding regularization of contractual staff over Zonal Railways.

2. All Zonal Railways are advised to take cognizance of the facts raised in the representation and an appropriate action may be taken in the matter at the earliest under intimation to this Ministry.

DA: As above.


(A. Narayana Rao)
Deputy Director/Estt (LL)
Railway Board

Room No. 533- F, Rail Bhawan, Raisina Road, New Delhi-110001.

100/11

100

5/10/23

रजि. वं. 4309



समाजवादी लेबर फ्रन्ट



खसरा नं. 56, पृठ कलां रोड़, ऑफिस नं. 2, प्रहलादपुर बांगर, दिल्ली-110042

जे.पी. सिंह
अध्यक्ष
9953793413

बम बम महाराज नौहटिया
महासचिव
9354791361

सुजीत पांडेय
सचिव
9313543977

जी.एस. आनंद
संगठन मंत्री
9810357203

क्रमांक 111

दिनांक..... 3/10/2023

आदरणीय मोदी जी की सरकार से अटल जन शक्ति पार्टी और समाजवादी लेबर फ्रंट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन की अदालत के आदेश का व श्रम कानून के अनुपालन कर इस्टर्न रेलवे सहित अन्य रेलवे जोन के ग्रुप डी रेल कर्मचारियों को वापिस नौकरी प्रदान करने के संबंध में मांग पत्र।

सेवा में

1. श्रीमान् राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार राष्ट्रपति भवन नयी दिल्ली 110001
2. श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय उप राष्ट्रपति का कार्यालय भारत सरकार नयी दिल्ली 110001
3. श्रीमान प्रधान मंत्री महोदय भारत सरकार नया संसदीय भवन कार्यालय नयी दिल्ली-110001
4. श्रीमान गृहमंत्री महोदय भारत सरकार नार्थ ब्लॉक नयी दिल्ली 110001
5. श्रीमान रेलमंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. श्रीमान केंद्रीय श्रम मंत्री महोदय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 7- श्रीमान कानून मंत्री महोदय भारत सरकार शास्त्री भवन नयी दिल्ली-110001
8. श्रीमान मुख्य न्यायाधीश महोदय, सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार, भगवान दास रोड़, नई दिल्ली-110001
9. श्रीमान मुख्य श्रमायुक्त महोदय, केंद्रीय सरकार, श्रमेव जयते भवन, द्वारका सेक्टर-10, नई दिल्ली-110075

✓ 10. श्रीमान मुख्य सचिव प्रशासन महोदय, रेल मंत्रालय, भारत सरकार, रेल भवन, नई दिल्ली-110001

विषय: ईस्टर्न रेलवे सहित अन्य रेलवे जोनों में नौकरी से निकाले गए गुप डी व अन्य के रेल कर्मचारियों को जिसको की श्रम कानून विपरित ठेका एजेंसियों के द्वारा रेलवे के कार्यों के लिए नियोजित किया था को श्रम कानून के विपरित गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाल दिया गया है, जिसके बाद अदालती कार्यवाही के उपरांत कलकत्ता उच्च न्यायालय सहित देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए सभी गुप-डी के ठेका कर्मचारियों को वापिस नौकरी पर रखने का जो आदेश जारी किया है किंतु आज दिनांक 03.10.2023 तक सर्वोच्च न्यायालय भारत सरकार के आदेश का अवज्ञा करते हुए जिस प्रकार लगभग पांच हजार गुप-डी रेलवे के ठेका कर्मचारियों को वापस नौकरी नहीं प्रदान किया गया है, उस सभी कर्मचारियों को जो वर्तमान में मौजूद हैं तथा जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनके उत्तराधिकारियों को वापिस नौकरी तत्काल प्रभाव से पत्र प्राप्ति के अंतराल में नौकरी प्रदान करने हेतु अटल जन शक्ति पार्टी का और समाजवादी लेबर फ्रंट का आप सभी से मांग-पत्र।

महाशय,

विदित हो कि अटल जन शक्ति पार्टी और समाजवादी लेबर फ्रंट के संज्ञान में दिनांक 28.09.2023 को रेल मंत्रालय और रेल प्रशासन और भारत सरकार के द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय व भारत के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए आदेश जो कि ईस्टर्न रेलवे के कान्ट्रेक्ट लेबर एजेंसी ने गुप-डी के रेल कर्मचारियों के लिए रेलवे में वापिस नौकरी वास्ते रीट-पीटिशन कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल किया था और जिस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वादी और गुप-डी के कर्मचारियों के

पक्ष में वापिस नौकरी के लिए आदेश जारी किया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के उपरांत यह मामला सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार में भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए वादी ग्रुप-डी के निकाले गए ठेका कर्मचारियों को वापिस काम पर रखने का आदेश जारी किया। किंतु आज दिनांक 03.10.2023 तक रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा नहीं अदालत के आदेश का पालन किया है और ना ही श्रम कानून का ही पालन किया है, जो गलत है और अदालत की अवमानना है। अदालत में जो. रीट-पीटिशन दाखिल हुआ उस का विवरण निम्न प्रकार से है :-

1. आदेश दिनांक 10.06.1998, रीट-पीटिशन संख्या: 14693/98, सिंगल बेंच, कलकत्ता उच्च न्यायालय।
2. आदेश दिनांक 19.12.2000, रीट-पीटिशन/मेट नं. 518/1999, डबल बेंच कलकत्ता उच्च न्यायालय।
3. आदेश दिनांक 19.12.2000 एसएलपी संख्या: 4120/2001, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत सरकार।
4. आदेश दिनांक 12.01.2004, रीट-पीटिशन संख्या: 8288/2001, कलकत्ता उच्च न्यायालय।
5. आदेश दिनांक 08.05.2009, रीट-पीटिशन संख्या: 6597/2009, कलकत्ता उच्च न्यायालय।

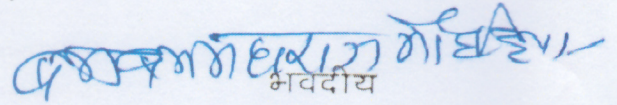
उपरोक्त रीट-पीटिशन के ऊपर और एसएलपी सुप्रीम कोर्ट उपरोक्त के ऊपर दिए गए आदेश का आखिर रेल मंत्रालय, रेल प्रशासन और भारत सरकार ने अनुपालन नहीं कर जहां कोर्ट के आदेश की अवज्ञा की है वहीं अपने ही द्वारा बनाए गए श्रम कानून का भी खुला उल्लंघन किया है जो कि किसी भी प्रकार से सही नहीं है। किंतु देर-सवेर सरकार को रेल प्रशासन को, रेल मंत्रालय को अदालत के

1. यह कि कृपया रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय, भारत सरकार तत्काल प्रभाव से इस मांग पत्र पर गौर करते हुए अदालत के आदेश और श्रम कानून के तहत सभी निकाले गए गुप-डी टेका कर्मचारी ईस्टर्न रेलवे व अन्य रेलवे क्षेत्रों को जिसकी की इस पत्र में वर्तमान दावाकर्ता की संख्या लगभग पांच हजार की है। जिसमें की अभी कुछ सौ की सूची शामिल इस पत्र में किया गया है। उन सभी गुप-डी टेका ईस्टर्न रेल कर्मचारी व अन्य जोनों के रेल कर्मचारी को जो मौजूद हैं उसको और जो मौजूद नहीं हैं उसके उत्तराधिकारी को 15 दिन के तहत नौकरी देने का आदेश जारी करें।
2. यह कि इस मांग पत्र के द्वारा अंतिम अदालत आदेश सन्-2009 से लेकर आज दिनांक 03.10.2023 तक जो रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना और श्रम कानून का भी उल्लंघन किया गया है आखिर क्यों इसके संबंध में संतोष जनक वैधानिक जवाब प्रदान करें, ताकि वादी कर्मचारी को अदालत की अवमानना का मुकदमा अदालत में रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के विरुद्ध नहीं करना पड़े।
3. यह कि इस के द्वारा अंतिम अदालत आदेश सन्-2009 से लेकर आज दिनांक 03.10.2023 तक जो रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा अदालत के आदेश की अवमानना और श्रम कानून का भी उल्लंघन किया गया है। इससे जो वादी गुप-डी रेलवे टेका कर्मचारी को जो आर्थिक और मानसिक नुकसान हुआ है और टेका कर्मचारियों का परिवार भी जो प्रभावित हुआ है उसके लिए जो क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए विशेष कमिटी का गठन कर क्षतिपूर्ति करें।
4. यह कि इस मांग पत्र के द्वारा आप सभी से गुप-डी टेका कर्मचारियों की न्याय की मांग करते हैं जो कि वापिस नौकरी और आर्थिक और मानसिक क्षतिपूर्ति के द्वारा संभव है, जिसे

दिलाने के लिए 15 दिन इस पत्र की प्राप्ति के बाद से के दरम्यान करने की मांग करते हैं, क्योंकि सन्-2009 से 03.10.2023 तक पहले ही एक लंबा समय इन लोगों के न्याय को नहीं मिलने में व्यतीत हो चुका है। इसलिए अब 15 दिन का समय निर्धारित किया जा रहा है।

5. यह है कि यदि निर्धारित समय पर कोई समुचित जवाब और न्याय और क्षतिपूर्ति सहित वापिस नौकरी उपरोक्त गुप-डी रेलवे ठेका कर्मचारियों को प्रदान नहीं किया जाता है तो बाध्य होकर अटल जन शक्ति पार्टी, समाजवादी लेबर फ्रंट इस मामले में अदालत की अवमानना याचिका कार्यवाही सहित रेल प्रशासन, रेल मंत्रालय और भारत सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल अनिश्चित कालीन मांगे पूरी होने तक करेंगी जिसकी भी समस्त जवाबदेही प्रशासन की होगी।

धन्यवाद सहित!


भवदीय

बम-बम महाराज नौहट्टिया
राष्ट्रीय प्रभारी अटल जन शक्ति पार्टी और
महासचिव समाजवादी लेबर फ्रंट एवं
अधिकृत प्रतिनिधि वादी
पता: खसरा नं. 86, पुराना पूठकलॉ रोड,
प्रह्लादपुर बांगर, दिल्ली-110042
मो.नं. 9354791361, 9953793413
ई-मेल: atalnrrp@gmail.com

समाजवादी लेबर फ्रंट

रजि० नं. 4309

खसरा नं. 86, पुराना पूठकलॉ रोड, अफिस नं. 2,

प्रह्लादपुर बांगर, दिल्ली-110042